न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 03/2021

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रणछोड़ पुत्र शंकर जी, जाति–भील, निवासी– फुंगणी, तह. व जिला– सिरोही
2. वरदाराम पुत्र शंकर जी, जाति–भील, निवासी–फुंगणी, तह. व जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 18 मार्च, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि श्री शंकर पुत्र दीपा जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुगणी के पुराने खसरा संख्या 188 रकबा 5.00 बीघा भूमि का गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन हुआ था। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 224 रकबा 0.8100 हेक्टेयर किस्म बारानी– 2 है। आवंटिती एवं उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद इनके उत्तराधिकारी अप्रार्थी रणछोड़ पुत्र शंकर एवं वरदाराम पुत्र शंकर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है, जिनमें प्रत्येक का 1/2 हक हिस्सा है। यह कि वर्ष 2042 से 2045 तथा संवत 2046 से 2049 के अनुसार आवंटि/अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही करना प्रमाणित होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा संवत 2042 से 2045 व संवत 2046–2049 के अनुसार आवंटन के पश्चात् उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री शंकर पुत्र दीपाजी भील, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 188 में रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 224 रकबा 0.8100 हेक्टेयर है, जो राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, जिनमें प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है। यह कि आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् संवत 2042–2045 व संवत 2046–2047 में कब्जा–काश्त नही रहा है। आवंटि/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है एवं न ही कब्जा है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर

द्वारा काश्त की गई है एवं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है। उक्त भूमि पर बरसाती खेती की जाती है एवं विगत कुछ वर्षो में बारीश कम होने व कोरोना महामारी की वजह से अप्रार्थीगण उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही कर पाये है। आवंटित भूमि मौके पर समतल व काश्त योग्य है। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है एवं उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थीगण की आजीविका का साधन है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि श्री शंकर पुत्र दीपा जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 188 रकबा 5.00 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 224 रकबा 0.8100 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 है) का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिस पर उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 21.9.1987 के द्वारा आवंटिती श्री शंकर पुत्र दीपा जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। उक्त आवंटित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आवंटिती श्री शंकर पुत्र दीपा जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी के उत्तराधिकारी अप्रार्थी रणछोड़ पुत्र शंकर जी व वरदाराम पुत्र शंकर जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, फुंगणी की मौका फर्द दिनांक 17.11.2020 एवं तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती अथवा उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा काश्त नही रहा है तथा आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है।

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर श्री शंकर पुत्र दीपा जी, जाति– भील, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 188 रकबा 5.00 बीघा (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 224 रकबा 0.8100 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 है) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 मार्च, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर